8/5/18 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पक्षकार उनके समक्ष दिनांक. 25/6/18
को प्रस्तुत हो।

25/6/18 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
है। पक्षकार उनके समक्ष दिनांक. 13/7/18
को प्रस्तुत हो।

7/15 वादिनी अ-1
वादिनी ने आवश्यक होने पर प्रतिवादीगण
पक्षकारान के मध्यस्थता होने के कारण
वाद आगे हिदायत पेशी कार्यवाही
चाहते है। No Instruction Plead
किया है।

अतः वादिनी वाद No Instruction
Plead के खारिज किया जाता है।

निकाल वाद आवश्यक कार्यवाही
के बाद रेकर्ड होने दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

No Instructi
Plead
Advocate
13/7/15